न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–437/2026
परिवाद पत्र संख्या–169सी/2021

संजीव कुमार, पे0–श्री श्याम कुमार राय
सा0–लालबाग, भगतसिंह चौक, वार्ड नं0 10, नगर थाना–दरभंगा,
जिला–दरभंगा.....आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

29/04/26

प्रार्थी अभियुक्त संजीव कुमार की ओर से परिवाद पत्र संख्या–169सी/2021 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कांत झा के द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथी अभियुक्त के विरूद्ध धारा–406 भा0द0वि0 के तहत नहीं बनता है उक्त आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। आवेदक एक जवाबदेह व कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी है जो वर्तमान में पु0अ0नि0 के पद पर अररिया थाना में पदस्थापित है। प्रार्थी आवेदक लम्बे समय से पुलिस सेवा में चले आ रहे है जिनकी छवि बेदाग है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन/गैर जमानतीय अधिपत्र की कोई जानकारी नहीं हो सकी और न ही कोई तामिला प्रतिवेदन ही निम्न न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।

प्रस्तुत वाद परिवादनी नीतू रानी के द्वारा दाखिल परिवाद पत्र पर आधारित है जिसमें विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 427, 406, 504, 506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत विचारण हेतु संज्ञान लिया गया है। परिवादी का संक्षेप में कथन यह है कि परिवादनी एक स्कॉर्पियो वाहन निबंधन संख्या–BR50P 1877 के स्वामिनी है जिसमें पुलिस अधीक्षक, सुपौल के साथ हुए अनुबंध के आलोक में अपने उक्त वाहन को मासिक भाड़े पर परिचालित किए जाने हेतु दिनांक 06.04.2021 को करजाईन थाना को सुपूर्द किया। दिनांक 06.07.2021 के सुबह वाहन स्टार्ट नहीं होने की जानकारी पर उनके पति थाना पहुँचे जहॉ तकनिशीयन द्वारा पड़ताल कर डीजल टंकी में पानी होना बताया गया। दिनांक 03.08.2021 को उक्त वाहन को मरम्मत हेतु बंगाल भेजवाया जहॉ मिस्त्री द्वारा डीजल टंकी में चीनी डाले जाने की बात बताई गई। उक्त मरम्मती में परिवादनी द्वारा 1,29,089/– रूपये खर्च हुए। परिवादनी का कथन है कि थाना के आगे उनके पति किराना का दुकान चलाते हैं जिनसे थाना प्रभारी के द्वारा नगद तथा दुकान का बिल 19,070/– रूपये बाकी लिया गया है। परिवादनी द्वारा आवेदक को वाहन में उत्पन्न गड़बड़ी के बावत जानकारी दिए जाने पर व आजकल कहकर टालते रहे। परिवादनी का कथन है कि थाना में भाड़ा पर गाड़ी चलाने के एवज में आवेदक ने उसके पति से कुछ धन का मांग किया था जिसे उनके पति द्वारा टाल दिया गया। तत्पश्चात् परिवादनी द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वीरपुर के समक्ष परिवाद पत्र दाखिल किया गया जिसमें पारित आदेश दिनांक 02.09.2021 द्वारा आवेदक को दोषी पाकर सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। परिवादनी का आगे कथन है कि दिनांक 15.09.2021 को शाम के 4 बजे सरकारी वाहन से आवेदक परिवादनी के घर पर आकर उसे अभद्र गालियॉ दिया तथा मुकदमा

लगातार

<u>न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय</u>
<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।</u>
<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0–437/2026</u>
परिवाद पत्र संख्या–169सी/2021

<u>लगातार</u> **29/04/26**	मेल किए जाने की धमकी दिया और बोला कि मैं प्रभारी हूँ कहीं भी एवं कभी भी केस में तुम्हारे पति या सारे परिवार को घसीटकर जान मार देगें। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध परिवादनी एवं उसके पति के साथ धोखाधड़ी करने, गाली–गलौज करने एवं धमकी देने के साथ उनके वाहन से छेड़छाड़ करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी अभियुक्त परिवाद पत्र के नामजद अभियक्त है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 427, 406, 504, 506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। उक्त सभी धाराओं में अधिकतम 7 वर्षों तक के दण्ड का प्रावधान है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान न्यायालय द्वारा प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया जा चुका है एवं जॉच साक्ष्य के क्रम में अबतक कुल 3 जॉच साक्षियों का साक्ष्य भी हो चुके हैं एवं परिवाद पत्र वर्तमान में उपस्थिति हेतु चला आ रहा है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में एवं प्रार्थी अभियुक्त को यह निर्देश दिया जाता है कि वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना करें तथा उक्त स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा **सतेन्दर कुमार अंतिल बनाम् केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरों** वाद में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के आलोक में विधि सम्मत् आदेश पारित करें। तद्नुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निस्तारित किया जाता है। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	